उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 41वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 03.07.2018

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522. 2307592, 2307542 4108184 फैक्सः 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.07.2018 को सम्पन्न हुई 41वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। –अध्यक्ष
2. श्री रवीन्द्र गोडबोले, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। –सदस्य / सचिव
3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री सीता राम यादव, संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
5. श्री बी0पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्री विजय कान्त दुबे, निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
7. श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
6. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
7. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
8. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
9. श्री संदीप अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
10. श्री एम0के0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
11. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय संस्थाए, यूपीडा।
12. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 41वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.06.2018 को सम्पन्न हुई 40वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही/निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा 40वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.06.2018 को सम्पन्न 40वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही/निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.06.2018 को सम्पन्न हुई 40वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:– **'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल कलेक्शन, दो मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा के संचालन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग हेतु वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) प्रदान किये जाने हेतु एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध में।**

'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित दो मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा एक्सप्रेसवे पर 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) की तैनाती हेतु एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गया :–

1– प्रथम चरण में 'निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा दिनांक 15.01.2018 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित आर0एफ0क्यू0–कम– आर0एफ0पी0 अभिलेख को ई–टेण्डर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 17.01.2018 को प्रकाशित कर निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं।

2– ई–टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत टोल वसूली हेतु एजेन्सी नियुक्त किये जाने में लगभग 3 से 4 माह का समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत यूपीडा निदेशक मण्डल की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत 19/20 जनवरी, 2018 की मध्य रात्रि से 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल की वसूली हेतु मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 को 4 माह के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, जिसके क्रम में मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 द्वारा 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल की वसूली का कार्य किया जा रहा है।

3– प्रथम चरण में तीन निविदाकर्ताओं से प्राप्त वित्तीय निविदाओं को आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख में इंगित न्यूनतम निर्धारित धनराशि से कम होने के कारण दिनांक 05.04.2018 को सम्पन्न बैठक में 'निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा अयोग्य घोषित कर नये सिरे से निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

4– उपरोक्त के क्रम में यूपीडा द्वारा दिनांक 02.05.2018 को ई–टेण्डर पोर्टल पर नये सिरे से आनलाइन निविदायें प्राप्त करने हेतु आर0एफ0क्यू0–कम– आर0एफ0पी0 अभिलेख जारी किया गया था।

5– निर्धारित तिथि दिनांक 07.06.2018 तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक में इच्छुक निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0, मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0, मेसर्स प्रकाश एसफाल्टिंग्स एण्ड टोल हाइवेज इण्डिया लि0, एवं मेसर्स स्काई लार्क इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा0 लि0, कुल चार निविदाकर्ताओं से प्राप्त निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों को ऑनलाइन खोला गया था। तदोपरान्त प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन परामर्शी द्वारा किया गया था।

6– परामर्शी द्वारा तकनीकी मूल्यांकनोंपरान्त प्रस्तुत अपनी आख्या में चारों निविदाओं को अर्ह पाया गया था। परामर्शी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन आख्या पर दिनांक 11.06.2018 को सम्पन्न 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक में समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त चारों निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदायें खोले जाने का निर्णय लिया गया था।

7– दिनांक 11.06.2018 को खोली गयी चारों निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाओं का विवरण निम्नवत् है:–

(धनराशि रूपये में)

क्र.सं.	निविदाकर्ता का नाम	वित्तीय प्रस्ताव	श्रेणी (उच्चतम के आधार पर)
1	मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0	2,15,55,00,000.00	2
2	मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0	2,21,78,88,999.00	1
3	मेसर्स प्रकाश एसफाल्टिंग्स एण्ड टोल हाइवेज इण्डिया लि0 (पाथ इण्डिया लि0)	2,07,76,00,000.00	3
4	मेसर्स स्काई लार्क इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा0 लि0	2,06,11,15,126.00	4

8– 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 11.06.2018 में निविदाकर्ता कम्पनियों से प्राप्त उपर्लिखित वित्तीय प्रस्तावों के अनुसार मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 का प्रस्ताव रू0 2,21,78,88,999.00 (रूपये दो सौ इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठासी हजार नौ सौ निन्यानवे) मात्र (जीएसटी सहित) उच्चतम पाया गया। अतः अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली कम्पनी यथा मेसर्स इगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 को रू0 2,21,78,88,999.00 (रूपये दो सौ इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठासी हजार नौ सौ निन्यानवे) मात्र (जीएसटी सहित) प्रथम वर्ष में यूपीडा को भुगतान किये जाने तथा प्रथम वर्ष पश्चात् अनुबन्ध की शेष अवधि तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि सहित यूपीडा को भुगतान किये जाने की शर्त सहित 'निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित दो मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा एक्सप्रेसवे पर 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) की तैनाती का कार्य मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 को प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

9– जारी किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख के अनुसार चयनित एजेन्सी के साथ अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष की होगी, जो अधिकतम 6 माह के लिये प्राधिकरण द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

कार्यवाही / निर्णय

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 11.06.2018 में लिये गये निर्णयानुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित दो मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने का कार्य मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 को, रू0 2,21,78,88,999.00 (रूपये दो सौ इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठासी हजार नौ सौ निन्यानवे) मात्र (जीएसटी सहित) प्रथम वर्ष में यूपीडा को भुगतान किये जाने तथा प्रथम वर्ष पश्चात् अनुबन्ध की शेष अवधि तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि सहित यूपीडा को भुगतान किये जाने की शर्त सहित, प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर **निदेशक मण्डल** द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 को लेटर आफ अवार्ड जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा 'जहाँ है, जैसा है' आधार पर दो मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा को हस्तांतरित करने के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव पर भी **निदेशक मण्डल** द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 4–

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों / कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या / तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री प्रकाश नारायण टण्डन	प्रबन्धक (पर्यावरण)	28.05.2018	6 माह	28.11.2018	1001 / यूपीडा / 468 / 15 / अधि0 दिनांक 07.06.2018	
2	श्री रमेश चन्द्र वैशवार	राजस्व निरीक्षक	30.06.2018	6 माह	31.12.2018	1126 / यूपीडा / 318 / 14 / अधि0 दिनांक 15.06.2018	
3	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक (विधि)	13.05.2018	6 माह	13.11.2018	1099 / यूपीडा / 347 / 14 / अधि0 दिनांक 13.06.2018	
4	श्री सन्त प्रसाद तिवारी	प्रबन्धक (प्रशासन)	09.06.2018	3 माह	09.09.2018	1112 / यूपीडा / 248 / 14 / अधि0 दिनांक 14.06.2018	
5	श्री राम सुधार यादव	वरिष्ठ सहायक	22.06.2018	6 माह	22.12.2018	1218 / यूपीडा / 243 / 14 / अधि0 दिनांक 20.06.2018	
6	श्रीमती कुसुम लता	वैयक्तिक सहायक	28.06.2018	6 माह	28.12.2018	1173 / यूपीडा / 824 / 17 / अधि0 दिनांक 19.06.2018	

कार्यवाही / निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:–

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन दिनांक 29.06.2018 तक संलग्न 1–4 पर स्थापित।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6:–

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं सम्बन्धित मदों में Extension of Time पर विचार/अनुमोदन।

कार्यवाही/निर्णयः– बोर्ड के सदस्यों को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज सं0–2, 3 एवं 5 में भूमि की अनुलब्धता/चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु प्रदान किये गये एक्सटेन्शन ऑफ टाईम से अवगत कराते हुए उनके सापेक्ष अथॉरिटी इन्जीनियर के स्टॉफ में कार्यकाल के विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 7:–**आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णयः– बोर्ड के सदस्यों के द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यो पर होने वाले व्यय की सीमा के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त की गई। बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया कि चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य तथा पूर्व में स्वीकृत चेन्ज ऑफ स्कोप के कार्यो को सम्मिलित करते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के कार्यो की नेट लागत अनुबन्धित लागत के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत है। बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित चेन्ज ऑफ स्कोप कार्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या0 8:–

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण हेतु मुख्यालय का निर्धारण, सहायक स्टॉफ की आवश्यकता तथा फील्ड स्टॉफ को अनुमन्य भवन, वाहन, फर्नीचर आदि का निर्धारण

कार्यवाही/निर्णयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण हेतु मुख्यालय का निर्धारण, सहायक स्टॉफ की आवश्यकता तथा फील्ड स्टॉफ को अनुमन्य भवन, वाहन, फर्नीचर आदि के निर्धारण का प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञान में लाते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन करने तथा कार्य की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त व्यवस्था/परिवर्तन अनुमोदित करने का निर्णय लेने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ को प्राधिकृत करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में बोर्ड से निवेदन किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में समस्त निर्णय लेने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ को अधिकृत किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–09:–

बैंकों से लिए जाने वाले रु. 12000.00 करोड के ऋण के संबंध में शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर मा. मंत्रि-परिषद द्वारा आज दिनांक 03 जुलाई 2018 को सम्पन्न बैठक में निर्णय ले लिया गया है तथा इस संबंध में शासनादेश शीघ्र ही जारी होने की संभावना है। शासनादेश प्राप्त होने पर निदेशक मण्डल को आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। किन्तु पूर्व बैठक में इस विषय पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किए जाने के संकल्प के अंतर्गत शासनादेश के कार्य-बिन्दुओं पर यूपीडा द्वारा कार्यवाही तुरंत आधार पर प्रारम्भ कर दी जाएगी एवं तदनुसार निदेशक मण्डल को कृतकार्यवाही से भी अवगत कराया जाएगा।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल ने इस सूचना पर हर्ष व्यक्त किया और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के वक्तव्य पर अपनी सहमति व्यक्त की।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–10:– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे', 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' तथा 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' के विकास हेतु परियोजना विकास परामर्शियों के चयन के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 02.07.2018 में 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे', 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' तथा 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' के विकास हेतु निम्नवत् परियोजना विकास परामर्शियों का चयन कर लिया गया है:–

Sl. No.	Name of Project	Name of Applicant	Fee consideration(in Rs. per Km) (inclusive of taxes including GST)
1	Bundelkhand Expressway	M/s Egis India Consulting Pvt. Ltd. – M/s KPMG Advisory Services Private Ltd. (JV)	3,61,000.00
2	Gorakhpur Link Expressway	M/s a'XYKno Capital Services Ltd. – M/s KITCO Ltd. (JV)	3,75,000.00
3	Prayag Link Expressway	M/s a'XYKno Capital Services Ltd. – M/s KITCO Ltd. (JV)	4,10,000.00

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उपर्लिखित चयनित परामर्शियों पर सहमति प्रदान करते हुए चयनित परामर्शियों को 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–11:–पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' के निर्माण कार्य के सुपरविजन हेतु दो अथारिटी इंजीनियर्स के चयन के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 02.07.2018 में 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' के निर्माण कार्य के सुपरविजन हेतु निम्नवत् दो अथारिटी इंजीनियर्स का चयन किया गया है :–

(Amount in Rs. exclusive of local taxes/GST)

Name of Project Packages	Name of applicant	Financial Consideration
'Package-I to Package-IV'	Egis International-Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. (JV)	Rs. 60,15,11,356.00
'Package-V to Package-VIII'	Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A.U - S A Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. (JV)	Rs. 63,98,30,739.00

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उपलिखित चयनित अथारिटी इंजीनियर्स पर सहमति प्रदान करते हुए चयनित परामर्शियों को 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–12:–पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' के इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु नवीन सिरे से परियोजना के विभिन्न पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी अन्तिमीकृत आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 (इ0पी0सी0 अनुबन्ध के आलेख्य एवं शिड्यूल्स सहित) पर उ0प्र0 शासन का अनुमोदन।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2018 द्वारा मूल्यांकन समिति की दिनांक 18.06.2018 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के अनुसार ई0पी0सी0 अनुबन्ध के आलेख्य में सुझाये गये संशोधनों को समाहित करते हुए 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' के आठो पैकेजों को इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन के लिये संशोधित अन्तिमीकृत आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 (इ0पी0सी0 अनुबन्ध के आलेख्य एवं शिड्यूल्स सहित) पर उ0प्र0 शासन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.07.2018 को सम्पन्न हुई 41वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 05 जूलाई, 2018 को अनुमोदित किये गये है।

(रवीन्द्र गोडबोले)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी